न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार (R.A.S)

पत्रावली 77/2021

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी ग्राम गावडी तहसील नीमकाथाना जिला-नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 15(5)
भू. आवंटन सलाहकार (उपखण्ड अधि०)
नीमकाथाना आदेश दिनांक 24-6-99

निर्णय दिनांक 29-12-2023

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 15(5) संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना ने भू. आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना की आज्ञा दिनांक 24-6-1999 द्वारा बाबूलाल पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी ग्राम गावडी को ग्राम गणेश्वर की भूमि ख० नं० 417 रकबा 20.31 है० में से 1.50 है० भूमि का आवंटन किया गया है। को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना [illegible] गठित जिला बनने एवं इस न्यायालय [illegible] आने पर पत्रावली अति० जिला कलक्टर [illegible] प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। एवं तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

अप्रार्थी बावजूद तामिल अनु० रहने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा बहस प्रार्थी कि एक पक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान बताया कि भू० आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना ने अप्रार्थी बाबूलाल को ग्राम गणेश्वर की भूमि ख० नं० 417 रकबा 20.81 हैं में से 1.50 हैं भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध किया है। आवंटित भूमि कि किस्म राजस्व रेकार्ड में गैं० मु० बेहड दर्ज है। जो वन भूमि ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 16 के अन्तर्गत गैं० मु० बेहड का आवंटन नही किया जा सकता आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन करने से पूर्व अधिसूचना जारी नही की है। अतः प्रार्थना पत्र 15(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। यह स्वीकारात्मक तथ्य है है कि भू० आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा गैं० मु० बेहड भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है। मैं प्रार्थी के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत गैं० मु० बेहड भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। गैं० मु० बेहड वन भूमि ही है। भू० आवंटन सलाहकार समिति ने नियमो के विपरीत भूमि का आवंटन किया है। जो नियम विरूद्ध है। इसके अलावा आवंटी दूसरे गाव का रहने [illegible] है [illegible] कि पूर्णतया पालन किया जाना [illegible] नही होता है। ऐसी स्थिति मे [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(4) स्वीकार किये जाने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 15(5) स्वीकार किया जाकर भू-आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधि०) नीमकाथाना का आवंटन आदेश दिनांक 25-6-99 खारीज किया जाता है।

उक्त आदेश आज दिनांक 29/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested